दैनिक न्याय साक्षी

खबरें खास

रायगढ़, मंगलवार 24 अक्टूबर 2023

www.nyaysakshi.com

महत्वपूर्ण एवं खास

बिलाईगढ़ के लिए श्याम टंडन और सारंगढ़ के लिए शिवकुमारी चौहान ने जमा किया नामांकन

बिलाईगढ़ विधानसभा के लिए 02 अभ्यर्थिंयों ने खरीदा नाम निर्देशन पत्र

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिले में कलेक्टोरेट सारंगढ़ के कलेक्टर न्यायालय कक्ष में सारंगढ़ विधानसभा के लिए 23 अक्टूबर को नाम निर्देशन पत्र किसी ने नहीं खरीदा है, वहीं भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के उम्मीदवार शिवकुमारी चौहान ने सारंगढ़ विधानसभा के लिए नामांकन दाखिल की है। इसी प्रकार बिलाईगढ़ विधानसभा सीट के लिए अपर कलेक्टर न्यायालय कक्ष में 02 अभ्यर्थियों ने पांच हजार रूपए जमानत राशि जमा कर नाम निर्देशन पत्र प्राप्त किए। अब तक बिलाईगढ़ विधानसभा के लिए बहुजन समाज पार्टी (बीएसपी) के श्याम टंडन ने नामांकन दाखिल किया है।

व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने किया निर्वाचन टीमों के कार्यों का अवलोकन

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिले के व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने जनपद पंचायत सारंगढ़ में संचालित निर्वाचन गतिविधियों का निरीक्षण किया। सिंह ने वहां मीडिया प्रमाणन एवं अनुवीक्षण समिति (एमसीएमसी) के टीमों का अवलोकन किया और कर्मचारियों से उनके कार्य के बारे में जानकारी ली। उन्होंने कर्मचारियों से किसी प्रकार की परेशानी तो नहीं पूछा, कर्मचारियों ने जवाब में ''कोई परेशानी नहीं है'' बताया। व्यय प्रेक्षक सिंह ने वीडियो निगरानी दल कक्ष, लेखा कक्ष और व्यय सहायक प्रेक्षक कक्ष का अवलोकन किया। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, डिप्टी कलेक्टर बी.एक्का उपस्थित थीं।

व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने कलेक्टर डॉ. सिद्दीकी एवं एसपी आशुतोष सिंह किया से मुलाकात

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिले के व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी से कलेक्टर कार्यालय में और एसपी आशुतोष सिंह से पुलिस अधीक्षक कार्यालय में सौजन्य मुलाकात किया।

कलेक्टर ने पांच अपराधियों को किया जिला बदर

बलौदाबाजार-रायपुर (आरएनएस)। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर जिले में कानून व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला कलेक्टर चंदन कुमार ने पांच अपराधियों को जिला बदर कर दिया है। जिला प्रशासन प्रमुख ने पुलिस प्रशासन की रिपोर्ट के आधार पर यह आदेश जारी किया है। पुलिस प्रशासन की ओर से मिली रिपोर्ट में संजय साहू निवासी ग्राम तरेंगा, अशोक कुमार साहू तथा अशोक कुमार निषाद दोनों निवासी ग्राम करही बाजार, अभिषेक सराफ निवासी गांधी चौक बलौदाबाजार तथा राहुल अग्रवाल निवासी महासती वार्ड भाटापारा का नाम शामिल है। कलेक्टर से जारी आदेशानुसार पांच आरोपियों को 24 घंटे के भीतर जिले की सीमा से बाहर जाना होगा तथा निकटवर्ती जिला जांजगीर-चांपा, रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, मुंगेली, दुर्ग, सक्ती एवं बेमेतरा जिले से भी बाहर रहना होगा।

विधान सभा आम निर्वाचन-2023 : 80 वर्ष से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को मिलेगी घर पहुंच मतदान की सुविधा

- होम वोटिंग की प्रक्रिया को बारीकी से समझे- कलेक्टर कार्तिकेया गोयल
- मतदान दल के अधिकारियों को पोस्टल बैलेट के संबंध में दी गई प्रशिक्षण

रायगढ़। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी कार्तिकेया गोयल के दिशा-निर्देशन में सृजन सभाकक्ष में मतदान दलों को 80 से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को दी जाने वाली पोस्टल बैलेट की सुविधा के संबंध प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में जिला पंचायत सीईओ जितेन्दर यादव, अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव पाण्डेय उपस्थित रहें।

कलेक्टर गोयल ने कहा कि निर्वाचन आयोग द्वारा इस वर्ष 80 से अधिक आयु वर्ग एवं दिव्यांग मतदाताओं को घर पहुंच मतदान की सुविधा दी जा रही हैं, जो काफी महत्वपूर्ण हैं। जिससे इस प्रक्रिया में आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। घर-घर जाकर वोटिंग के लिए बहुत सारी सावधानियां बरती जानी हैं, जिसका आपको विशेष ध्यान रखना होगा। यही कारण है कि आपके लिए यह प्रशिक्षण का आयोजन किया गया हैं, जिससे आपको स्पष्ट हो जाए एवं पोस्टल बैलट से संबंधित प्रक्रिया में शंका होने पर प्रशिक्षण में पूछ कर तत्काल उसका समाधान कर ले। कलेक्टर गोयल ने मतदान दल के अधिकारियों से पोस्टल बैलेट प्रक्रिया से संबंधित प्रश्न पूछते हुए उनका भी समाधान भी किया।

इस दौरान कलेक्टर गोयल ने कहा कि घर पहुंच मतदान दल में पीठासीन स्तर के एक अधिकारी एवं एक अन्य मतदान अधिकारी, माइक्रो ऑब्जर्वर, वीडियो ग्राफर, सुरक्षा कर्मी मौजूद होंगे। इसके साथ ही बीएलओ इस प्रक्रिया में आपका सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए प्लान तैयार किया जा रहा है। जिसके अनुसार आपको कार्य करना होगा। उन्होंने मतदाता के घर में होने वाले मतदान की गोपनीयता के संबंध में बारीकी से जानकारी दी। इसके साथ ही निर्वाचन कार्य में संलग्न कर्मचारियों के वोटिंग के लिए बनाए गए सुविधा केंद्र के संबंध में विशेष निर्देश दिए।

प्रशिक्षण में डिप्टी कलेक्टर रमेश मोर एवं जिला मास्टर ट्रेनर राजेश डेनियल ने सभी मतदान दल के अधिकारियों को पोस्टल बैलेट की विस्तृत जानकारी देते हुए उनकी शंकाओं का समाधान किया।

13 अभ्यर्थियों ने लिए नामांकन पत्र

चारों विधानसभा में किसी के द्वारा जमा नहीं किया गया नामांकन

रायगढ़। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत 23 अक्टूबर को जिले की चार विधानसभाओं के लिए कुल 13 नाम निर्देशन पत्र लिए गए। इनमें विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-15 लैलूंगा से 3 अभ्यर्थियों में सुनीति राठिया (भारतीय जनता पार्टी), विश्वनाथ सिदार (निर्दलीय) एवं विद्यावती सिदार (इंडियन नेशनल कांग्रेस) शामिल है।

इसी तरह विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-16 रायगढ़ से 6 अभ्यर्थियों में प्रकाश नायक (इंडियन नेशनल कांग्रेस), ओ.पी. चौधरी (भारतीय जनता पार्टी), शंकर लाल अग्रवाल (निर्दलीय), सफेद कुमार गुप्ता (निर्दलीय), बीर सिंह नागेश (हमर राज पार्टी) एवं गोपाल प्रसाद अग्रवाल (आम आदमी पार्टी) शामिल है। विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-18 खरसिया से 2 अभ्यर्थियों में विनोद चंद्र सिंह राठौर (निर्दलीय) एवं महेश राम साहू (भारतीय जनता पार्टी) तथा विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-19 धरमजयगढ़ से 2 अभ्यर्थियों में हरिशचंद्र राठिया (भारतीय जनता पार्टी) एवं लालजीत सिंह राठिया (इंडियन नेशनल कांग्रेस) शामिल है। 23 अक्टूबर को रायगढ़ के चारों विधानसभा में किसी के द्वारा नामांकन जमा नहीं किया गया है। इस प्रकार 21 अक्टूबर से अब तक कुल 24 नाम निर्देशन पत्र लिए गए हैं और 1 नामांकन जमा किया गया है।

110 पाव देशी प्लेन शराब के साथ दो आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों पर आबकारी एक्ट की कार्यवाई

- कोतवाली पुलिस ने संजय मार्केट में किया शराब रेड कार्यवाही

रायगढ़। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार के दिशा निर्देशन एवं एडिशनल एसपी संजय महादेवा व नगर पुलिस अधीक्षक अभिनव उपाध्याय के मार्गदर्शन पर कोतवाली पुलिस शहर में अवैध रूप से शराब विक्रय करने वालों पर मुखबिर लगाकर लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में कोतवाली पुलिस की टीम द्वारा शहर के संजय मार्केट के लोकेश निषाद तथा दिलीप आचार्या के नाश्ता होटल में अवैध रूप से शराब विक्रय की सूचना पर रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस टीम ने आरोपी लोकेश निषाद के कब्जे से 56 पाव देशी प्लेन/ देशी मसाला मदिरा की जप्ती की गई है। वहीं आरोपी दिलीप आचार्या के कब्जे से 54 पाव देशी प्लेन मदिरा कुल 110 पाव देशी प्लेन मदिरा कीमती रु. 9,270 की जप्ती आरोपियों से किया गया है। थाना कोतवाली में आरोपियों के विरुद्ध पृथक-पृथक धारा 34(2), 59(क) आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। थाना प्रभारी कोतवाली निरीक्षक शनिप रात्रे के नेतृत्व में शराब रेड कार्यवाही हेतु बनाई गई टीम में उप निरीक्षक दीपिका निर्मलकर, सहायक उप निरीक्षक गौतम सिंह ठाकुर, प्रधान आरक्षक हेमंत पात्रे, आरक्षक मनोज पटनायक और भगवती प्रसाद रत्नाकर शामिल थे।

अवैध शराब का जखीरा बरामद : आरोपी के कब्जे से 73,000 रुपए की करीब 206 लीटर देशी, अंग्रेजी व महुआ शराब जब्त

- शराब के अवैध कारोबार में संलिप्त आरोपी के घर घरघोड़ा पुलिस ने की रेड

रायगढ़। आसन्न चुनाव शांतिपूर्ण रूप से संपन्न कराने की दिशा में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सदानंद कुमार द्वारा अवैध शराब के कारोबार पर नकेल कसने समस्त राजपत्रित पुलिस अधिकारियों एवं थाना, चौकी प्रभारियों को निर्देश दिये गये हैं। इसी कड़ी में पुलिस अनुविभागीय अधिकारी धरमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर घरघोड़ा पुलिस द्वारा अवैध मादक पदार्थो की खरीदी-बिक्री और संग्रहण पर निगाह रखने मुखबीरों का जाल बिछा रखा है। दिनांक 23.10.2023 को थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा को उनके सक्रिय मुखबीर से सूचना मिला कि ग्राम रायकेरा का शिव प्रसाद बेहरा द्वारा अवैध रूप से आसपास क्षेत्र में शराब की बिक्री करता है। सूचना पर एसडीओपी धररमजयगढ़ दीपक मिश्रा के मार्गदर्शन पर थाना प्रभारी घरघोड़ा के नेतृत्व में पुलिस टीम तैयार कर टीम द्वारा देर शाम ग्राम रायकेरा में आरोपी के घर की घेराबंदी कर गवाहों के समक्ष रेड कार्यवाही किया गया। पुलिस टीम द्वारा आरोपी के मकान, बाड़ी की विधिवत तलाश ली गई जिसमें आरोपी के कब्जे से 72 पाव देशी प्लेन, 279 अंग्रेजी शराब और 70 बियर की बोतल समेत जरीकन और प्लास्टिक बॉटल में भरी 101 लीटर महुआ शराब कुल 206 लीटर शराब कीमती रु. 73000 का बरामद हुआ है। घरघोड़ा पुलिस पहले भी आरोपी शिव प्रसाद के विरुद्ध आबकारी एक्ट के तहत कार्यवाही किया गया है। अवैध शराब के भारी मात्रा में जप्त पर आरोपी शिव प्रसाद बेहरा पिता स्व. समारू बेहरा उम्र 52 साल निववासी रायकेरा थाना घरघोड़ा के विरूद्ध आबकारी एक्ट की गैर जमानती धारा 34(2),59(क) के तहत कार्यवाही की गई है। शराब रेड कार्यवाही में थाना प्रभारी घरघोड़ा निरीक्षक शरद चंद्रा, सहायक उप निरीक्षक राजेश मिश्रा, प्रधान आरक्षक राकेश राठौर, आरक्षक प्रहलाद भगत, सुमित उरांव, कन्हैया भगत, प्रदीप तिग्गा और महिला आरक्षक रश्मि तिर्की की सराहनीय भूमिका रही है।

खरसिया पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड की जांच में माल वाहक ऑटो से 5 लाख से अधिक मूल्य के अवैध पटाखे बरामद

- अवैध पटाखे परिवहन कर रहे आरोपी पर खरसिया पुलिस ने की विस्फोटक अधिनियम की कार्रवाई

रायगढ़। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उड़नदस्ता दल (FST), स्थैतिक निगरानी दल (SST) और पुलिस टीमों ने वाहन चेकिंग और तेज कर दिया गया है। दिनांक 23.10.2023 को रायगढ़-खरसिया NH 49 पर ग्राम चपले के पास खरसिया पुलिस और उडनदस्ता दल द्वारा वाहन चेकिंग के दौरान अवैध पटाखों से भरी एक माल वाहक ऑटो को पकड़ा गया है, थाना खरसिया में वाहन चालक पर विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई किया गया है।

एसएसपी सदानंद कुमार के दिशा-निर्देशन पर पुलिस टीमें क्षेत्र की फ्लाइंग स्क्वाड के साथ सामंजस्य बनाकर संदिग्ध रकम व मादक पदार्थों के परिवहन पर लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में खरसिया पुलिस और उडनदस्ता दल द्वारा NH 49 पर ग्राम चपले के पास वाहन चेकिंग के दौरान माल वाहक ऑटो सीजी 12 बी.ई. 6659 में वाहन चालक को पटाखें परिवहन करते पकड़ा गया। वाहन के चालक दिनेश राठौर पिता घूनू राठौर उम्र 45 साल निवासी रतनमहका चौकी खरसिया ने वाहन में लोड पटाखों को खरसिया से रायगढ़ लेकर जाना बताया जिससे पटाखों के परिवहन संबंधी बिल/कागजात की मांग करने पर कोई बिल/दस्तावेज नहीं होना बताया। मौके पर थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश मिश्रा द्वारा वाहन समेत अवैध पटाकों एवं वाहन चालक को थाना खरसिया लाया गया। वाहन से जप्त पटाखों की कीमत 5 लाख रूपये से अधिक की बतायी जा रही है।

एसडीओपी खरसिया प्रभात पटेल के मार्गदर्शन पर अवैध पटाखों की विधिवत जब्ती कर खरसिया पुलिस द्वारा वाहन चालक पर थाना खरसिया में विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई की गई है। थाना प्रभारी खरसिया निरीक्षक राकेश मिश्रा ने बताया कि वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय एवं एसडीओपी खरसिया के मार्गदर्शन पर बिना लाइसेंस के पटाखे बेचने और रखने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर कार्यवाही किया जावेगा।

अवैध पटाखों से भरी एक माल वाहक ऑटो को पकड़ने में उड़नदस्ता दल प्रभारी डॉ0 रमेश मनहर, टीआई खरसिया राकेश मिश्रा, एएसआई लक्ष्मी राठौर, आशिक रात्रे, आरक्षक विशोष सिंह, प्रदीप तिवारी तथा फ्लाइंग स्क्वॉड के प्रधान आरक्षक शम्भू खैरवार, आरक्षक चंद्रेश पांडे, वनरक्षक सिदार की अहम भूमिका रही है।

व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने ली इनकम टैक्स, बैंक, जीएसटी और आबकारी अधिकारियों की बैठक

सारंगढ़ बिलाईगढ़ । जिले के व्यय प्रेक्षक रत्नेश कुमार सिंह ने कलेक्टोरेट सभाकक्ष में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. फरिहा आलम सिद्दीकी की उपस्थिति में इनकम टैक्स, बैंक, जीएसटी और आबकारी विभाग के अधिकारियों की बैठक लिया। बैठक में सभी विभागों के कार्यों के संबंध में चर्चा की गई।

इस अवसर पर व्यय प्रेक्षक सिंह ने कहा कि निर्वाचन में सभी विभागों का कार्य बहुत महत्वपूर्ण है। सभी विभाग अपने से जुड़े कार्यों पर कड़ी कार्यवाही करेंगे। सिंह ने अधिकारियों को बहुत अच्छे से निर्वाचन कार्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। जिला प्रशासन के अधिकारियों और निर्वाचन व्यवस्था की तारीफ करते हुए सिंह ने कहा कि जिला प्रशासन की टीम अच्छा कार्य कर रही है। इस अवसर पर अपर कलेक्टर निष्ठा पांडेय तिवारी, उप जिला निर्वाचन अधिकारी प्रकाश भारद्वाज, डिप्टी कलेक्टर टी.आर.महेश्वरी सहित निर्वाचन के अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित थे।

बच्चों की अश्लील वीडियो पोस्ट करने वाला आरोपी चढ़ा पुलिस के हत्थे

- नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो से जारी हुआ था आईपी एड्रेस

बलौदाबाजार-रायपुर (आरएनएस)। छोटे बच्चों की अश्लील वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने वाले आरोपी के खिलाफ एनसीआरबी नई दिल्ली से एक आईपी एड्रेस जारी किया गया था, जिसे बलौदाबाजार पुलिस ने ट्रेस कर मामले के आरोपी को दबोच लिया।

सूत्रों ने बताया कि नई दिल्ली एनसीआरबी (नेशनल क्राईम रिकार्ड ब्यूरो) से एक आईपी एड्रेस जारी किया गया था। इसमें टिप थी कि संबंधित आईपी एड्रेस के माध्यम से बच्चों की अश्लील वीडियो पोस्ट की गई है तथा धारक के संबंध में वैधानिक कार्रवाई की जानी है। इसके बाद बलौदाबाजार एसएसपी, एएसपी, एसडीओपी के द्वारा एक टीम गठित कर संबंधित आईपी एड्रेस को ट्रेस करने की कार्रवाई शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि उक्त आईपी एड्रेस कुछ समय पूर्व ही हथबंध इलाके में सक्रिय था। इस पर हथबंध थाना पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 67, 67 ठ, आईटी एक्ट तथा पास्को एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर संबंधित आईपी एड्रेस के संचालित कंपनी का पता लगाया गया। कंपनी से मोबाइल धारक के संबंध में जानकारी ली गई और फिर से लोकेशन ट्रेस किया गया तो पता चला कि आरोपी रायगढ़ जिले के तमनार में है। इसके बाद टीम ने तत्काल तमनार में दबिश देकर आरोपी मिथलेश यादव पिता बाला यादव 39 वर्ष निवासी मदनपुर शासकीय के पास थाना छतरपुर जिला पलामू झारखंड को गिरफ्तार किया।

द्वितीय चरण के लिए दूसरे दिन 59 नामांकन पत्र हुए दाखिल

- 70 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अब तक 43 अभ्यर्थिंयों ने भरे 64 नामांकन पत्र
- दूसरे चरण के लिए 30 अक्टूबर तक अभ्यर्थी कर सकेंगे नामांकन दाखिल

रायपुर। विधानसभा आम निर्वाचन-2023 अंतर्गत द्वितीय चरण के 70 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के लिए आज दूसरे दिन कुल 59 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार आज सबसे अधिक अहिवारा और सक्ती विधानसभा क्षेत्रों में 4-4 नामांकन पत्र दाखिल किए गए। विधानसभा क्षेत्र चन्द्रपुर, जैजैपुर, रायपुर ग्रामीण, डौण्डीलोहारा से 3-3, मनेन्द्रगढ़, कोटा, मस्तूरी, बिलाईगढ़, कुरूद, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, साजा, बेमेतरा, कटघोरा से 2-2, भरतपुर-सोनहत, बैकुण्ठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, सामरी, रायगढ़, सारंगढ़, रामपुर, मरवाही, तखतपुर, बिलासपुर, अकलतरा, पामगढ़, बसना, खल्लारी, भाटापारा, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, वैशाली नगर से 1-1 नामांकन पत्र दाखिल किए गए है। इस प्रकार अब तक द्वितीय चरण के विधानसभा क्षेत्रों के लिए 43 अभ्यर्थियों ने 64 नामांकन पत्र दाखिल किए हैं।

उल्लेखनीय है कि विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग तथा सरगुजा संभाग के कुल 70 विधानसभा क्षेत्र शामिल हैं। प्रदेश में द्वितीय चरण में हो रहे निर्वाचन के लिए प्रत्याशी 30 अक्टूबर 2023 तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। द्वितीय चरण के लिए नामांकन पत्रों की संवीक्षा 31 अक्टूबर को होगी। अभ्यर्थियों द्वारा नाम वापस लेने की अंतिम तिथि 2 नवम्बर हैं।

विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत द्वितीय चरण में भरतपुर-सोनहत, मनेन्द्रगढ़, बैकुंठपुर, प्रेमनगर, भटगांव, प्रतापपुर, रामानुजगंज, सामरी, लुण्ड्रा, अम्बिकापुर, सीतापुर, जशपुर, कुनकुरी, पत्थलगांव, लैलूंगा, रायगढ़, सारंगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़, रामपुर, कोरबा, कटघोरा, पाली-तानाखार, मरवाही, कोटा, लोरमी, मुंगेली, तखतपुर, बिल्हा, बिलासपुर, बेलतरा, मस्तूरी, अकलतरा, जांजगीर-चांपा, सक्ती, चंद्रपुर, जैजैपुर, पामगढ़, सराईपाली, बसना, खल्लारी, महासमुंद, बिलाईगढ़, कसडोल, बलौदाबाजार, भाटापारा, धरसींवा, रायपुर ग्रामीण, रायपुर नगर पश्चिम, रायपुर नगर उत्तर, रायपुर नगर दक्षिण, आरंग, अभनपुर, राजिम, बिन्द्रानवागढ़, सिहावा, कुरूद, धमतरी, संजारी बालोद, डोंडीलोहारा, गुण्डरदेही, पाटन, दुर्ग ग्रामीण, दुर्ग शहर, भिलाई नगर, वैशाली नगर, अहिवारा, साजा, बेमेतरा और नवागढ़ विधानसभा क्षेत्रों में 17 नवंबर 2023 को मतदान होगा। प्रथम तथा द्वितीय दोनों ही चरणों की मतगणना 3 दिसंबर 2023 को होगी।

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-२21359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com, RNI NO :- CHHHIN/2018/76480